

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

रामदेवा राम बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण  
किस्म मुकदमा 136 LK मु.नं. 347 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
07/11/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी द्वारा किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरुस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम बिडोली पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 241 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रामदेवा पुत्र दीपाराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि रामदेवाराम पुत्र दुर्गाराम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रामदेवाराम पुत्र दुर्गाराम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रामदेवा पुत्र दीपाराम के स्थान पर उक्त प्रविष्टि रामदेवाराम पुत्र दुर्गाराम दुरुस्त किया जावे।"</p> <p>अपने आवेदन के समर्थन में वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थी (रामदेवाराम पुत्र दुर्गाराम) स्वयं, रामदेवाराम पुत्र गोरुराम, केशरदेव पुत्र पन्नाराम, जगमालसिंह पुत्र गंगासिंह व नाहरसिंह पुत्र रिडमल के अलग-अलग साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है।</p> <p>अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/51 दिनांक 14.11.2025 से प्राप्त उक्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम बिडोली पटवार हल्का बिडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 241 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि रामदेवा पुत्र दीपाराम के स्थान पर उक्त प्रविष्टि रामदेवाराम पुत्र दुर्गाराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/51 दिनांक 14.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हैं।</p>



उपखण्ड अधिकारी  
धोद जिला सीकर